संख्या-175/2015/1060/22-4-15-48(70)/94टीसी-8

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-08सितम्बर,2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, बरेली के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-33709/नम-2, दिनांक- 12 अगस्त, 2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-99/2015/1519/22-4-14-48(70)/94टीसी-8 दिनांक-15.04.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार, बरेली के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 43,26,10,200/- (रूपया तैंतालीस करोड़ छब्बीस लाख दस हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य दिनांक 31.03.2016 तक अवश्य कर लिया जाय तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति समयबद्व रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

(7) प्रश्नगत परियोजना की अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर प्रदान की जायेगी।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.02.2010 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.04.2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-08- कारागार का निर्माण-24-वृहत् कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या- 175/2015/1060(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बरेली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।